# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)
## पीठासीन अधिकारी श्री मोहम्मद ताहीर R.A.S

| मिसल नं0 | तारीख दायर | तारीख फैसला |
|---|---|---|
| 31/दावा/2013 | 05.07.2013 | 13 .11.2019 |

1. ग्यारसी बेवा स्वं0 फून्दया जाति मीणा निवासी ग्राम बड़ून्दा तह0 व जिला बून्दी मृतक के कायम मुकाम एवं उत्तराधिकारी
   1/1 कालू आ0 स्वं0 फून्दया जाति मीणा निवासी ग्राम बड़ून्दा तह0 व जिला बून्दी बहेसियत स्वयं एवं कायम मुकाम वादी सं0 1 ग्यारसी

......वादीगण

**बनाम**

1. रामस्वरूप आ0 मोती जाति मीणा निवासी ग्राम विनायका तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
2. राकेश आ0 रामस्वरूप जाति मीणा निवासी ग्राम विनायका तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
3. मुकेश आ0 रामस्वरूप जाति मीणा निवासी ग्राम विनायका तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)

...प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्तावादीः– श्री रमेश कुमार जैन
अधिवक्ता प्रतिवादीः– श्री ब्रजराज शर्मा

**– : : निर्णय : : –**

**वाद अन्तर्गत धारा– 188 आर.टी.एक्ट**

संक्षेप में वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किया है कि:–

1. कृषि भूमि खसरा संख्या 222 रकबा 03 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम विनायका तालेडा जिला बून्दी में विस्थित है। उक्त कृषि भूमि वादीगण के पूर्वजों के समय से खाते कब्जे व अधिकार में चली आ रही है। वादीगण उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक अर्साकदीम से काबिज काश्त चले आ रहे है तथा राजस्व कर इत्यादि जमा कराते चले आ रहे है। प्रमाण स्वरूप जमाबन्दी संवत् 2063–66 प्रस्तुत है।
2. यह कि चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि में गत वर्ष वादीगण ने खरीफ में चावल की फसल तथा रबी में गेहूँ की फसल बोयीं तथा काटी थी वादी क्रम 1 काफी वृद्धा महिला है तथा वादी सं0 2 उसका पुत्र है। इसलिए समस्त कृषि कार्य वादी सं0 2 ही करता है।
3. यह कि दिनांक 08.05.2010 को सुबह करीब 7–8 बजे प्रतिवादीगण क्रम 1 लगा0 3 सभी एक राय से इकट्ठे होकर उक्त चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि पर आये और नीवें खोदने लग गये। वादी सं0 2 व उसके पुत्र ने प्रतिवादीगण को रोका तो गाली गलोच करने लगे तथा लगडियॉं कुल्हाडियॉं लेकर मारने दोडे और कहने लगे कि हम यहॉं मकान बनाकर ही मानेगे। तुमसे जो हो वो कर लो। अगर दुबारा यहॉं आये तो तुम्हें जान से मार देगे। यही वाद कारण है जो दिनांक 08.05.2010 को उत्पन्न हुआ है।
4. यह कि वादीगण को यह अधिकार प्राप्त है कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की निषेधाज्ञा पारित करवाये कि प्रतिवादी वादीगण चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि या उसके किसी भी भाग पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नही करे न ही उक्त भूमि के कृषि स्वरूप को नष्ट करे, न ही कोई निर्माण करे, न ही उक्त समस्त कार्य किसी अन्य से करावे। यदि उक्त आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पारित नही की गई तो प्रतिवादीगण वादीगण की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि के कृषि स्वरूप को नष्ट कर देगे। जिससे वादीगण को ऐसी अपूरनीयक्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी मूल्य पर संभव नही हो सकेगी।

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी(राज0)



Scanned by CamScanner

5. यह कि वाद कारण दिनांक 08.05.2010 को उत्पन्न हुआ है। इसलिए वाद अवधि मध्य प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना है कि–

1. वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री किया जावे।
2. प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 222 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम विनायका तह0 तालेडा जिला बून्दी या उसके किसी भी भाग पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करें न ही उक्त भूमि के कृषि स्वरूप को नष्ट करें न ही कोई निर्माण आदि करे, न ही उक्त समस्त कार्य किसी अन्य से करावें।
3. यदि दौराने मुकदमा प्रतिवादीगण या उनके कोई व्यक्ति उक्त चरण सं0 1 में वर्णित भूमि या उसके किसी भाग पर अतिक्रमण कर निर्माण आदि कर लेवे तो उसे हटाया जाकर कब्जा वादीगण को दिलवाया जावे ऐसी स्थिति में हर्जाना राशि वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवायी जावे।
4. अन्य न्यायोचित सहायता जो भी उचित हो वादीगण को प्रदान की जावे तथा खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1,2,3 की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया। वाद पत्र की चरण सं0 1 में अंकित तथ्यों में भूमि वाके ग्राम विनायका तहसील जिला बून्दी में विस्थित होना स्वीकार है। शेष तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। च0सं0 2 में वर्णित तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। च0सं0 3 में वर्णित तथ्य मनगढन्त एवं असत्य होने से अस्वीकार है। वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है। च0सं0 4 में अंकित तथ्य अस्वीकार है। वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। क्योंकि वादीगण के खाते की आराजी खसरा नम्बर प्राप्त नहीं है। क्योंकि वादीगण के खाते की आराजी खसरा नम्बर 222 में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की कोई दखलअन्दाजी नहीं कर रहे है। इसलिये उक्त भूमि के संबंध में वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई वाद लाने का विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। वादीगण को किसी प्रकार की कोई क्षति होने की कोई संभावना नहीं है। पूरा जवाब अन्य आक्षेप में अंकित है। च0सं0 5 में वर्णित तथ्य कानूनी है। च0सं0 6 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। वाद अवधि बाधित है। च0सं0 7 कानूनी है। प्रार्थना वादीगण अस्वीकार है। वादीगण का वाद पत्र खारिज फरमाया जावे तथा विशेष हर्जा स्वरूप वादीगण से प्रतिवादीगण को 5,000/– रूपये दिलाया जावे। अन्य आक्षेप निम्नप्रकार है– यह कि वाद पत्र की में अंकित अनुसार वादीगण के खाते की आराजी ख0सं0 222 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम विनायका तहसील व जिला बून्दी में होना बताई गई है, जबकि प्रतिवादी रामस्वरूप के खाते की आराजी खसरा नम्बर 446/255 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम संवर तहसील जिला बून्दी में विस्थित है, ग्राम बिनायका एवं ग्राम संवर के बीच नहर निकली हुई है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण की भूमि की भौतिक स्थिति अलग–अलग जगह भूमि स्थित होने एवं दोनो गांवों के बीच नहर निकलने से प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के खाते की भूमि पर किसी प्रकार की दखल अन्दाजी करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वादीगण द्वारा झूठे एवं असत्य तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किये जाने से वादीगण का वाद प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी रामस्वरूप व अन्य प्रतिवादीगण अपनी खातेदारी की भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमि का वादीगण का कोई अधिकार निहित नहीं है तथा

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी(राज0)



Scanned by CamScanner

न ही प्रतिवादीगण वादीगण के खाते की भूमि पर किसी प्रकार की दखलअन्दाजी कर रहे है। इस प्रकार वादीगण का वाद चलने योग्य नही है।

साक्ष्य में वादी की और से नकल जमाबन्दी खाता सं0 37 ग्राम विनायका संवत् 2063–66, खसरा गिरदावरी खाता सं0 222 ग्राम विनायका संवत् 2065, आंशिक नकल नक्शा ट्रेस ग्राम विनायका दिनांक 13.5.2010, वादी कालू लाल का शपथ पत्र की प्रतियॉ पेश की।

साक्ष्य में प्रतिवादीगण की और से नकल जमाबन्दी खाता सं0 106 ग्राम संवर संवत् 2063–66, खसरा गिरदावरी खाता सं0 446/255 संवत् 2066 नकल नक्शा ट्रेस गाम संवर की प्रतियॉ पेश की।

बहस सुनी गई। दौराने बहस वादी वकील ने वाद वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये वाद पत्र में चाही गई रिलीफ वादी को प्रदान किये जाने का निवेदन किया। बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। वादी के द्वारा अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित किया है। चूंकि वादी रिकार्डड खातेदार है। अतः वादी वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को इस बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता कि वह वादी के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 222 रकबा 03 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम विनायका तह0 तालेडा जिला बून्दी में किसी प्रकार का कब्जा व मदाखलत न तो स्वयं करे न अन्य किसी प्रतिनिधि से करावे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 13.11.2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा
तालेड़ा जिला बूंदी(राज0)

उप खण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बूंदी

Scanned by CamScanner

**डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई**
**( आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)**

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी।
इजलास **मोहम्मद ताहीर , आर0ए0एस0**

1. ग्यारसी बेवा स्वं0 फून्दया जाति मीणा निवासी ग्राम बडून्दा तह0 व जिला बून्दी मृतक के कायम मुकाम एवं उत्तराधिकारी
   1/1 कालू आ0 स्वं0 फून्दया जाति मीणा निवासी ग्राम बडून्दा तह0 व जिला बून्दी बहेसियत स्वयं एवं कायम मुकाम वादी सं0 1 ग्यारसी

**......वादीगण**

**बनाम**

1. रामस्वरूप आ0 मोती जाति मीणा निवासी ग्राम विनायका तहसील व जिला बून्दी (राज0)
2. राकेश आ0 रामस्वरूप जाति मीणा निवासी ग्राम विनायका तहसील व जिला बून्दी (राज0)
3. मुकेश आ0 रामस्वरूप जाति मीणा निवासी ग्राम विनायका तहसील व जिला बून्दी (राज0)

**...प्रतिवादीगण**

**वाद अन्तर्गत धारा– 188 आर.टी.एक्ट**
31/दावा/2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू बहहाजरी श्री रमेश कुमार जैन एडवोकेट मिनजानिब मुदई श्री ब्रजराज शर्मा मिनजातिब मुदायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि वादी वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को इस बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता कि वह वादी के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 222 रकबा 03 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम विनायका तह0 तालेडा जिला बून्दी में किसी प्रकार का कब्जा व मदाखलत न तो स्वयं करे न अन्य किसी प्रतिनिधि से करावे।

नीज............................ मुबलिक................................ बाबत....................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह........................ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .......................... को अदा करें।

| मुदई | रूपया | पैसे | मुदायलाह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प वकालात | | |
| स्टाम्प वकालात | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महनताना वकील | | |
| महनताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमिश्नर | | | बाबत इजराय | | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | | | हुक्मनामा | | |
| मुतफरिक | | | मुतफरिक | | |
| मीजान | | | | | |

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 13 माह 11 वर्ष 2019 को जारी की गई।

मोहर

**उपखण्ड अधिकारी**
**तालेडा जिला बून्दी**

उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी (राज0)

उप खण्ड अधिकारी * (राज) * तालेडा जिला बून्दी



Scanned by CamScanner